



UNIVERSITY LAW COLLEGE CENTRE-II
UNIVERSITY OF RAJASTHAN
 J.L.N. Marg, Jaipur-302004

No. : ULCC-II/20...../.....

Dated :

एलएल.बी. द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में पुनः प्रवेश (Re-Admission) सम्बन्धी सूचना
(सत्र 2023-24)

पुनः प्रवेश फीस जमा करवाने से पूर्व निम्नलिखित बिन्दु ध्यान से पढ़ लें ।

1. विश्वविद्यालय विधि महाविद्यालय केन्द्र-2 में एलएल.बी. द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में पुनः प्रवेश (Re-Admission) Online माध्यम से प्रारम्भ किया जा रहा है।
2. बिना विलम्ब शुल्क, पुनः प्रवेश (Re-Admission) का अवसर दिनांक 02 सितम्बर से 07 सितम्बर, 2023 तक दोपहर 2:00 बजे से 5:00 बजे तक दिया जा रहा है।
3. विश्वविद्यालय विधि महाविद्यालय केन्द्र-2 में एलएल.बी. द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में पुनः प्रवेश (Re-Admission) लेने योग्य विद्यार्थी (केवल वे विद्यार्थी जिनको एलएल.बी. प्रथम एवं द्वितीय वर्ष परीक्षा 2022 में PASS या EFSY/EFTY घोषित किया गया है।) अपना पुनः प्रवेश आवेदन-पत्र (Re-Admission Form) विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.univraj.ac.in पर दिये गये लिंक के माध्यम से भरें, उसी स्थान पर दिये गये फीस के लिंक से फीस Online माध्यम से जमा करावें। (फीस जमा करवाने से पूर्व विद्यार्थी इंटरनेट की अंकतालिका से यह सुनिश्चित कर ले कि वह छः पेपर में 36 या उससे अधिक अंक हैं उसे आगामी कक्षा में प्रवेश लेने के लिए पात्रता रखता है तभी पुनः प्रवेश की फीस जमा करवाये अन्यथा किसी भी दशा में फीस नहीं लौटायी जायेगी और जमा फीस किसी भी दशा में समायोजित नहीं की जायेगी।) इसके पश्चात् पूर्ण भरा हुआ पुनः प्रवेश आवेदन-पत्र (Re-Admission Form) डाउनलोड कर इसके साथ अंकतालिका की प्रति (वेबसाइट की प्रति जो कि स्व-प्रमाणित हो) लगावें एवं महाविद्यालय में प्रवेश समिति से जाँच करवाकर महाविद्यालय कार्यालय में जमा करावें।
4. फीस भुगतान की प्रति मय पुनः प्रवेश आवेदन-पत्र महाविद्यालय के कार्यालय में जमा करवाने पर ही सैक्शन एवं रोल नम्बर आवंटित किया जायेगा, एवं तत्पश्चात् ही पुनः प्रवेश (Re-Admission) पूर्ण माना जायेगा।
5. पुनः प्रवेश शुल्क (Re-Admission Fee) का विवरण निम्नानुसार है :-

Class	For All Students of all category	For PH Students
LL.B. II year	Rs. 12,130/-	Rs. 3,030/-
LL.B. III year	Rs. 12,790/-	Rs. 3,690/-

नोट :-1. जिन विद्यार्थियों को एलएल.बी. प्रथम एवं द्वितीय वर्ष परीक्षा 2023 में RW Exam/EN या PSYO घोषित किया गया है, उनको सूचित किया जाता है कि वे समस्त दस्तावेजी औपचारिकता पूर्ण कर राजस्थान विश्वविद्यालय से अधिकृत परिणाम घोषित करवायें ताकि उनका पुनः प्रवेश सुनिश्चित किया जा सके, अन्यथा पुनः प्रवेश से वंचित रहने पर विद्यार्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।

2. ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने Ex-student या Due Paper(s) के रूप में उक्त परीक्षाएँ दी हैं, विश्वविद्यालय विधि महाविद्यालय केन्द्र-2 में प्रथम प्रवेश लेने की तिथि से वर्तमान विधि परीक्षा जिसमें प्रवेश हुए हैं की समस्त मूल अंकतालिकाएं एवं उनकी प्रतिलिपियाँ लेकर महाविद्यालय में उपस्थित होवें ताकि महाविद्यालय प्रवेश समिति आपका प्रवेश सुनिश्चित कर आपके नाम फीस जमा करवाने बाबत राजस्थान विश्वविद्यालय की अधिकृत वेबसाइट पर भेजा जा सके अन्यथा विद्यार्थी पुनः प्रवेश से वंचित रहने पर स्वयं उत्तरदायी रहेगा।


 प्राचार्य

Principal
 University Law College
 Centre II, JAIPUR